



राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
जयपुर, राजस्थान, Email ID:-co.plan.nhm@gmail.com

क्रमांक: एफ-13(5)(7)/एनएचएम/योजना/RoP/2021-22/15 दिनांक:- 30/06/2021

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त जिले।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु भारत सरकार से अनुमोदित RoP के क्रम में जिलेवार RoP बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जैसा कि विदित है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु RoP दिनांक 1 जून 2021 को प्राप्त कर ली गई है तथा अनुमोदित गतिविधियों अनुरूप जिलेवार RoP तैयार कर एनएचएम, राजस्थान सरकार की विभागीय वैबसाईट पर आपकी सुलभता हेतु अपलोड किया गया है अतः आपके जिले अनुरूप अनुमोदित गतिविधियोंवार ब्लॉक, सीएचसी, पीएचसी, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं वी.एच.एस.एन.सी. स्तर हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करते हुए राज्य स्तर पर अवगत करावें।

विभागीय वैबसाईट लिंक : nrhmrajasthan.nic.in/PIP.htm

(सुधीर कुमार शर्मा)

विशिष्ट शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं
मिशन निदेशक एन.एच.एम.

क्रमांक: एफ-13(5)(7)/एनएचएम/योजना/RoP/2020-21/15 दिनांक:- 30/06/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प.क. एवं मिशन निदेशक -एनएचएम।
2. अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम।
3. निदेशक-आरसीएच।
4. निदेशक (वित्त)-एनएचएम।
5. जिला कलेक्टर समस्त जिले।
6. संयुक्त निदेशक समस्त संभाग,
7. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन ईकाई-एनएचएम।
8. सलाहकार, योजना /राज्य वित्त प्रबन्धक/राज्य लेखा प्रबन्धक एनएचएम।
9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक/जिला लेखा प्रबंधक/शहरी कार्यक्रम प्रबंधक समस्त जिले।
10. प्रभारी सेन्ट्रल सर्वर रूम सभी सम्बन्धित को ई-मेल करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ट शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं
मिशन निदेशक एन.एच.एम.